छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिविल लाईन, जी.ई. रोड, रायपुर – 490021

दूरभाष क्र. –0771–4073555 फैक्सः 4073553

स्वप्रेरित याचिका क्र.–18/2008(एम)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल –– उत्तरवादी

आदेश

(21.11.08)

श्री सेवकराम पाण्डे, संचालक, कुबेर गृह निर्माण मंडल समिति मर्यादित, रोहिणीपुरण, रायपुर (संक्षेप में 'उपभोक्ता') द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.09.08 के माध्यम से आयोग को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं के शिकायतों का निराकरण) विनियम, 2007 के विनियम 78 के अनुसार विद्युत मंडल द्वारा विद्युत लोकपाल के आदेश दिनांक 09.01.08 को क्रियान्वयन करने हेतु एवं अब तक अनुपालन न करने के कारण दण्डात्मक कार्यवाही करने की मांग की गई। प्रकरण को देखते हुए प्रारम्भिक दृष्टया आधार पर विद्युत मंडल के विरूद्ध स्व–प्रेरित याचिका दायर की गई एवं तदानुसार विद्युत मंडल को 15 दिनों के भीतर विद्युत लोकपाल के आदेश का सम्यक अनुपालन न करने के कारण बताते हुए उत्तर प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दी गई कि क्यों न उनके विरूद्ध विद्युत लोकपाल के आदेशों का पालन न करने के कारण विद्युत अधिनियम 2003 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 142 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

2. उत्तर में विद्युत मंडल द्वारा यह बताया गया है कि विद्युत लोकपाल के आदेश के विरूद्ध मान. उच्च न्यायालय के समक्ष रिट (writ) याचिका प्रस्तुत की गई है। यह भी बताया गया कि बार–बार नोटिस के बावजूद उपभोक्ता सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा है।

3. प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार हैः

उपभोक्ता के कॉलोनी के सड़क बत्ती विद्युत कनेक्शन क्रमांक एस.टी./8बी को विद्युत मंडल द्वारा बिल की राशि का भुगतान न किये जाने के कारण अगस्त 1999 में विच्छेदन कर दिया गया था, जिसके लिये दिनांक 24.04.2000 को उपभोक्ता द्वारा मीटर हटाने हेतु आवेदन दिया गया। इसी बीच विद्युत मंडल द्वारा उक्त सड़क बत्ती कनेक्शन में लगे मेकेनिकल मीटर जो कि बंद था के स्थान पर इलेक्ट्रनिक मीटर दिनांक 22.01.05 को लगाया गया। उक्त मीटर में खपत आने पर तदानुसार उपभोक्ता को विद्युत मंडल द्वारा बिल भेजा जाता रहा एवं इसका भुगतान न होने की स्थिति में दिनांक 25.02.06 को विद्युत मंडल द्वारा विद्युत कनेक्शन विच्छेदित कर दिया गया। उपभोक्ता द्वारा यह कहा गया कि सड़क बत्ती नगर निगम द्वारा चालू की गई है अतः इसके भुगतान के लिये वे देनदार नहीं है। विद्युत मंडल का कहना था कि कनेक्शन उपभोक्ता के नाम पर है अतः

इस कनेक्शन के विरूद्ध बकाया राशि के वे ही देनदार हैं। उक्त वाद के कारण उपभोक्ता द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (संक्षेप में 'फोरम'), रायपुर में प्रकरण दर्ज किया गया जिसके निर्णय व आदेश दिनांक 30.06.06 के अनुसार विद्युत बिल की राशि उपभोक्ता द्वारा देय माना गया। फोरम के उक्त आदेश से व्यथित होकर उपभोक्ता द्वारा प्रकरण विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विद्युत लोकपाल द्वारा अभ्यावेदन प्रकरण क्रमांक 13/06 में अपने आदेश दिनांक 17.01.07 के अनुसार फोरम के आदेश दिनांक 30.06.06 को निरस्त किया गया एवं निर्णय दिया गया (कंडिका 20) किः ''*लाईन काटने के पश्चात उपभोक्ता द्वारा पुनः लाईन जोड़ने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया था, न ही बकाया राशि जमा किया गया था। नियमानुसार बिना आवेदन बकाया राशि भुगतान के विद्युत लाईन नहीं जुड़ना चाहिए था। इस मामले में विद्युत मंडल यह स्थापित नहीं कर पाया है कि उक्त सड़क बत्ती का कनेक्शन उपभोक्ता द्वारा जोड़ा गया है। दिनांक 22.01.05 के बाद लाईन जोड़ने के कारण की गई विद्युत खपत से संबंधित बिल भुगतान के लिए उपभोक्ता जिम्मेदार नहीं है।*'' विद्युत लोकपाल के उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध विद्युत मंडल द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है एवं प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है (प्रकरण क्रमांक WPC 2645/2007)। उपभोक्ता द्वारा फोरम के समक्ष पुनः प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसमें मांग की गई कि विद्युत लोकपाल के आदेश दिनांक 17.01.07 के तहत सड़क बत्ती कनेक्शन की विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ करने का आदेश फोरम द्वारा विद्युत मंडल को दिया जावे क्योंकि उपभोक्ता को लंबित राशि के भुगतान के लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। उक्त आवेदन फोरम द्वारा आदेश दिनांक 29.09.2007 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। जिसके विरूद्ध उपभोक्ता द्वारा पुनः विद्युत लोकपाल के समक्ष याचिका दायर की गई। विद्युत लोकपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 33/2007 में पारित आदेश दिनांक 09.01.08 में निर्णय दिया गया है किः मंडल द्वारा उपभोक्ता ''अभ्यावेदक'' के विद्युत कनेक्शन का किया गया स्थाई विच्छेदन विधि अनुरूप नहीं है अतः मंडल उपभोक्ता को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए स्थायी विद्युत विच्छेदन करने/विद्युत कनेक्शन प्रदान करने/बहाल करने तथा नाम संशोधित करने के बिन्दुओं पर विचार करते हुए विधि अनुरूप कार्यवाही करे।'' उपभोक्ता द्वारा आयोग के समक्ष यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि विद्युत मंडल द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए यह प्रकरण संस्थित किया गया है।

4. आयोग ने अनावेदक विद्युत मंडल को सुना एवं उसके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर विचार किया। यद्यपि विद्युत लोकपाल के आदेश दिनांक 17.01.07 के विरूद्ध विद्युत मंडल द्वारा दायर प्रकरण उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथापि इस पर न्यायालय का कोई स्थगन प्राप्त नहीं है। अतः आयोग द्वारा प्रकरण के गुण–दोष पर नहीं जाते हुए केवल इस बिन्दु पर विचार किया गया कि क्या विद्युत मंडल द्वारा इसी प्रकरण पर विद्युत लोकपाल के अन्य आदेश दिनांक 09.01.08 का पालन किया गया है अथवा नहीं एवं नहीं तो उसका क्या कारण है। विद्युत लोकपाल के आदेश दिनांक 09.01.08 की कंडिका 32 के अनुसार विद्युत मंडल को उपभोक्ता को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुए विधि अनुरूप कार्यवाही करने हेतु कहा गया। विद्युत मंडल द्वारा प्रस्तुत उत्तर में बताया गया है कि उपभोक्ता को दिनांक 28.01.08, 03.03.08 एवं 29.03.08 को पत्र भेजा गया जिनमें उपभोक्ता को मंडल कार्यालय में प्रस्तुत होकर विकल्प पर लिखित सहमति देने हेतु कहा गया। चूँकि, लोकपाल द्वारा विद्युत विच्छेद करने/विद्युत कनेक्शन प्रदान करने/कनेक्शन

बहाल करने व नाम संशोाधित करने वाबत विकल्प दिये गये थे एवं इस संबंध में सुनवाई का मौका देने का भी निर्देश दिया गया था, विद्युत मंडल ने उपरोक्तानुसार पत्राचार किया। पत्राचार से यह ज्ञात होता है कि उपभोक्ता को विद्युत कार्यालय में उपस्थित होकर अपना विकल्प देने हेतु कहा गया मगर उपभोक्ता द्वारा सहयोग नहीं दिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं के शिकायतों का निराकरण) विनियम, 2007 की कंडिका 77 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लोकपाल के आदेश का अनुपालन और प्रवर्तन आदेश में विनिर्दिष्ट समयाविधि अथवा आदेश में समयाविधि विनिर्दिष्ट न होने की दशा में 30 दिनों के भीतर करने का प्रावधान है। विद्युत लोकपाल के आदेश दिनांक 09.01.08 में कोई समयावधि निर्धारित नहीं की गई है अतः उक्त आदेश का पालन करने की समयावधि अधिकतम 30 दिन होगा। मंडल द्वारा उपभोक्ता को कार्यालय में उपस्थित होकर विकल्प देने हेतु प्रथम पत्र दिनांक 28.01.08 को प्रस्तुत किया गया इस प्रकार मंडल द्वारा लोकपाल के आदेश का पालन हेतु कदम 30 दिवस के भीतर उठाया गया है। उपभोक्ता द्वारा ही आदेश के पालन हेतु आवश्यक सहयोग नहीं किया गया है।

5. उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मंडल द्वारा विद्युत लोकपाल के आदेश दिनांक 09.01.08 के अनुपालन हेतु निर्धारित अवधि के भीतर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। अतः मंडल के विरूद्ध लोकपाल के आदेश के पालन नहीं करने के कारण धारा 142 के तहत कार्यवाही करने का कोई प्रकरण नहीं बनता है। उपभोक्ता की सुविधा के लिए विद्युत मंडल को यह सलाह दी जाती है कि इस प्रकरण में उपभोक्ता के कॉलोनी के सड़क बत्ती के उपयोग हेतु विधि अनुरूप जो विकल्प है उन्हें लिखित रूप में उपभोक्ता को 15 दिवस के भीतर सूचित करें।

हस्ता./–
सदस्य

हस्ता./–
अध्यक्ष

सत्यप्रतिलिपि

(एन.के. रूपवानी)
सचिव